जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति — दिनांक 23.09.2021

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा "कैराना रोड़ पेट्रोल पम्प लूट" एवं थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत रेलपार लूट में वांछित 25,000/- रूपये का इनामी लुटेरा गिरफ्तार।

दिनांक 28.09.2020 को कैराना रोड़ स्थित राज फिलिंग स्टेशन व दिनांक 25.02.2021 को रेलपार नमकीन व्यापारी के घर में लूट की घटनाओं का जनपद पुलिस द्वारा बदमाश को गिरफ्तार करते हुए लूट की घटनाओं का अनावरण किया गया था। इन घटनाओं में शामिल दो लुटेरे सतीश जोगी व पंकज त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था तथा एक अन्य अभियुक्ता कमलेश को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त घटनाओं में लुटेरों का एक अन्य साथी जगरोशन घटनाओं को अंजाम देने के बाद से निरन्तर फरार चल रहा था। इसके अतिरिक्त जगरोशन रेलपार की गई लूट की घटना के तत्काल बाद ही उसी दिन अपने गांव बरलाजट्ट से एक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर जगरोशन के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

उक्त लूट के अभियोगों में अभियुक्त जगरोशन की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा 25,000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

इस क्रम में आज दिनांक 23.09.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे इनामी बदमाश/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली द्वारा 25,000/- रूपये का इनामी शातिर लुटेरे जगरोशन को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा उसके द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाई गई बरलाजट्ट की नाबालिग युवती को भी बरामद कर लिया गया है। जिसके मेडिकल परीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही कराई जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- जगरोशन पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम बरला जट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मु0अ0सं0 468/20 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली शामली।
2. मु0अ0सं0 91/21 धारा 363/366/368 भादवि थाना कोतवाली शामली।
3. मु0अ0सं0 265/21 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली शामली।
4. मु0अ0सं0 45/21 धारा 395/465/120बी भादवि थाना आदर्शमण्डी शामली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री अनिल कुमार तवेतिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री जयकिशोर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली
3. का0 राहुल कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली
4. म0का0 अनु सिरोही थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई छोटा हाथी चोरी की घटना का किया सफल अनावरण, 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया छोटा हाथी एवं अवैध हथियार बरामदः-

दिनांक 18.08.2021 को वादी सोमपाल पुत्र कालूराम निवासी कादरगढ थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा दिनांक 10.08.2021 को जलालाबाद फाटक से अज्ञात चोरों द्वारा छोटा हाथी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। चोरी की इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चोरी हुए छोटा हाथी की शीघ्र बरामदगी एवं घटना में लिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थानाभवन को निर्देशित किया गया था। इस घटना के शीघ्र अनावरण हेतु सर्विलासं की टीम को भी लगाया गया था। थानाभवन पुलिस एवं सर्विलांस की टीम द्वारा निरन्तर कार्यवाही गई।

इस क्रम में आज दिनांक 23.09.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं चोरी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर को चोरी का छोटा हाथी एवं अवैध तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का एक साथी अभी फरार है। जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

अपराध का तरीकाः- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर जानकारी हुई है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के एक अन्य साथी फरीद आलम पुत्र असगर निवासी हरजौली जट्ट को छोटा हाथी खरीदना था लेकिन खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम नही हो पा रहा था। जिसके लिए उन्होंने चोरी करने की योजना बनाई तथा करीब डेढ़ माह पूर्व पिकअप से सरसावा से शामली आने के दौरान जलालाबाद फाटक के पास एक छोटा हाथी खडा दिखाई दिया। तो उसी समय पिकअप से उतरकर आस-पास देखा कोई दिखाई नहीं दिया और फिर छोटा हाथी चोरी कर ले गये थे। इसके बाद इसका इधर-उधर सौदा कर रहे थे परन्तु कोई खरीदने को तैयार नहीं हो रहा था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अलीम पुत्र सलीम निवासी मुडलाना थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार।
2. आस मौहम्मद पुत्र इशाक निवासी ग्राम हरजौली जट्ट थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार।

नाम व पता फरार अभियुक्तः-

1- फरीद आलम पुत्र असगर निवासी हरजौली जट्ट थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार।

बरामदगी का विवरणः-

1- चोरी का छोटा हाथी (टाटा मोटर्स कम्पनी) नं0 UP-11T-8455
2- अवैध तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।
3- अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना थानाभवन जनपद शामली।
2- उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
3- हे0का0 राहुल सर्विलांस सेल जनपद शामली।
4- हे0का0 शहजाद अली थाना थानाभवन जनपद शामली।
5- का0 आशीष थाना थानाभवन जनपद शामली।

6- का अमरपाल शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली ।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से करीब 14 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

दिनांक 22.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा करीब 14 ग्राम अवैध स्मैक सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- महताब पुत्र इसराइल निवासी मौहल्ला गुजरान थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध स्मैक करीब 14 ग्राम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री विजय त्यागी थाना कांधला जनपद शामली।

2- का0 तोहिद अली थाना कांधला जनपद शामली।

3- का0 अभिषेक सांगवान थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तारी व अन्य कानूनी कार्यवाही के निरंतर दबाव में थाना कैराना पुलिस के समक्ष गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 गैंगस्टर ने किया आत्मसमर्पणः-

आज दिनांक 23.09.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना क्षेत्र के 02 गैंगस्टर द्वारा गिरफ्तारी के बढ़ते दबाव के चलते थाना कैराना पर आत्मसमर्पण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कैराना पर बलवा, हत्या का प्रयास आदि के पूर्व में अभियोग पंजीकृत है, जिन पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. सारिक पुत्र सुदा निवासी ग्राम रामडा थाना कैराना जनपद शामली।
2. सरवर उर्फ मनव्वर पुत्र इकबाल उर्फ सब्बीरा निवासी ग्राम रामडा थाना कैराना शामली।

आपराधिक इतिहास सारिक –

1- मु0अ0सं0 607/17 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 307, 427 भादवि0 थाना कैराना जनपद शामली।

2- मु0अ0सं0 66/21 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।।

3- मु0अ0सं0 283/21 धारा- 147, 148, 149, 307, 342, 420, 323, 504, 506 भादवि0 थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास सरवर –

1- मु0अ0सं0 606/17 धारा 147, 148, 149, 307, 336, 353 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

2- मु0अ0सं0 66/21 धारा- 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कांधला</u>

<u>पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कांधला पुलिस द्वारा 210 अवैध शराब बरामदगी सम्बन्धित मालों (करीब 31,000 लीटर अवैध शराब) का कराया गया निस्तारण।</u>

पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव द्वारा थानों में भ्रमण के दौरान मुकदमा/ लावारिस एवं लादावा मालों के विशेषतः अवैध शराब से संबंधित मालों के निस्तारण की आवश्यकता महसूस की। जिस पर उनके द्वारा थानों पर वाहन एवं शराब संबंधी मालों के निस्तारण हेतु निर्देश दिए गये थे। इस क्रम में थाना कांधला पर विभिन्न मामलों से संबंधित शराब के माल चिन्हित किए गए। जिनके निस्तारण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक शामली के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी द्वारा उक्त मालों के निस्तारण पर अपनी मुहर लगाते हुए आज दिनांक 23.09.2021 को ऐसे समस्त मालों को नष्ट करने की सहमति दे दी गई। कमेटी की सहमति के उपरांत थाना कांधला प्रभारी द्वारा कुल 210 अवैद्य शराब बरामदगी सम्बन्धित मालों (करीब 31,000 लीटर अवैध शराब) को नष्ट कराया गया। नष्ट कराए जाने की प्रक्रिया में समस्त अवैध शराब को कांधला के डंपिंग ग्राउंड में ले जाकर गड्ढा खोदकर क्रश कराकर नष्ट कराया गया।